

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या: 534/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तनावग्रस्त आसित वसूली शाखा, तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर  
नगर, जयपुर।

प्रार्थी  
वित्तीय बैंक

बनाम

- मैसर्स श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्री राम स्वरूप शर्मा,  
पता :- बी-55, कृषि उपज मण्डी (अनाज), मुहाना, जयपुर।  
एवं हरवंशपुरा पोस्ट जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement  
of Security Interest Act. 2002

उपस्थित :- बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक : 26.07.2022

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 12.05.2016 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी मालिक श्री राम स्वरूप शर्मा के स्वामित्व की वाणिज्यिक सम्पत्ति बी-55, कृषि उपज मण्डी (अनाज), मुहाना, जयपुर क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज को बन्धक एवं Entire current assests and fixed assests (both present and future) i.e. raw material, finished goods, book-debts, consumable stores and spares etc. को हाईपोथिकेटेड कर राशि 32,40,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.01.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

५५०  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 32,40,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 23,86,348.27/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 16.01.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी मालिक श्री राम स्वरूप शर्मा के स्वामित्व की वाणिज्यिक सम्पत्ति बी-55, कृषि उपज मण्डी (अनाज), मुहाना, जयपुर क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज को बन्धक एवं हाईपोथिकेटेड Entire current assets and fixed assets (both present and future) i.e. raw material, finished goods, book-debts, consumable stores and spares etc. का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक 26.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

५५  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर